संख्या-16/2026/359/001-53-2099-1284-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ., कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुदान संख्या-16 (जिला योजना-सामान्य) हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-109/दुग्ध-5/नियो0/कृषक प्रशि0-सामान्य/2026-27, दिनांक 29 मई, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुदान संख्या-16(जिला योजना-सामान्य) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 450.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के 75 जनपदों के लिए प्रथम किश्त के रूप में रु0 225.00 लाख (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम/शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यों/मदों हेतु अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवशेष धनराशि के उपयोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधनों से उसका वहन करेंगे ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय। समस्त व्यय संबंधित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(6) जिन मदों के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। प्रश्नगत धनराशि का जिलों को आवंटन उनकी मांग के औचित्य का परीक्षण करते हुए किया जायेगा।

(7) प्रस्ताव के संलग्नक में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(8) प्रथम किश्त द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में करते हुए धनराशि के सापेक्ष निर्धारित भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों की सूची एवं संगत उपयोगिता-प्रमाण पत्र द्वितीय किश्त के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को जनपदवार/वर्गवार(प्रबन्ध कमेटी सदस्य, ए0एम0सी0यू0/बी0एम0सी0यू0, दुग्ध उत्पादक, प्रगतिशील कृषक, कार्मिक, प्रबन्ध) सूचीबद्ध किया जाय। योजनावार/जनपदवार परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबंधित संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के आधार व दूरभाष संख्या सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर द्वितीय किश्त के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे तथा बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे व बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001020306 कृषकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का प्रशिक्षण कार्यक्रम **मानक मद** 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

राम सहाय यादव

विशेष सचिव।

संख्या-16/2026/359(1)/001-53-2099-1284-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर(ऑडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

8- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3/ राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।

12- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।

14-वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम आसरे राम

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in